राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2221/2025

राजपाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, अराजपत्रित, एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन पंचायती राज चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, श्री कल्याण राजस्थान मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, सीकर।
4. कमला, नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल कॉलेज, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2025
आदेश की दिनांक : 25.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालसंमद, लाडनू, डीडवाना कुचामन किया गया है और अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानांतरण 250 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी स्वयं दोनो घुटनो के लिंगामेंट टीयर से ग्रसित है, जिससे चलने–फिरने में परेशानी होती है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है, इसके बावजूद अपीलार्थी का

स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी की माताजी का हृदय रोग का उपचार चल रहा है और इस प्रकार अपीलार्थी के अलावा परिवार में उनकी देखभाल के लिये कोई नहीं है, इसके बावजूद अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 27.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालसंमद, लाडनू, डीडवाना कुचामन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2019 से कार्यरत है और इस प्रकार लगभग 6 वर्ष बाद अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण सेवा का अभिन्न अंग है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर कार्यरत रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अपीलार्थी विभाग में अभ्यावेदन देने के लिये स्वतंत्र है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष